उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

भू–वापसी अपील वाद संख्या–65 / 2019

जगदम महतो वगै० बनाम् चमरू करमाली वगै०

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
20/01/24	इस वाद की कार्यवाही अपीलार्थी जगदम महतो पिता–स्व० नेपाल महतो वो तपन महतो पिता–स्व० नेपाल महतो वो सुरेश महतो पिता–स्व० नेपाल महतो वो निर्मल महतो पिता–स्व० नेपाल महतो वो खिरोधर महतो पिता–स्व० जयपाल महतो वो हरीलाल महतो पिता–स्व० जयपाल महतो वो भागीरथ महतो पिता–स्व० प्यारीलाल महतो सभी का निवास ग्राम–हिसिमदाग (बरवाडीह) थाना–गोला, जिला–रामगढ़ द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ के न्यायालय में दायर भू–वापसी वाद संख्या–01 / 1997 जुगल करमाली बनाम नेपाल महतो वगै० में दिनांक–15.10.1999 को पारित आदेश के विरूद्ध U/S – 215(5) C.N.T. Act-1908 के तहत न्यायालय में अपील दायर किया गया। अपील आवेदन के साथ माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची में दायर W.P.(C) No.-5899/2007 में दिनांक–01.10.2018 को पारित आदेश की सत्यापित प्रति संलग्न है। जिसके अवलोकन किया गया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची द्वारा आदेश पारित किया गया है कि, **"Deputy Commissioner, Ramgarh upon receiving the records from the Respondent no 4 will proceed to adjudicate the matter afresh and also take fresh evidence and no such evidence or materials which has been recorded earlier can be relied upon except the application for restoration fo land which was filed by the applicant."** उक्त पारित आदेश के आलोक में वाद को अंगीकृत करते हुए द्वितीय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ से निम्न न्यायालय के अभिलेख की माँग की गई। अनुमण्डल पदधिकारी, रामगढ के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि भू–वापसी वाद संख्या–01 / 1997 जुगल करमाली बनाम नेपाल महतो वगै० का अभिलेख उनके न्यायालय में उपलब्ध नहीं है। मूल अभिलेख के अनुपलब्धता के कारण इस न्यायालय द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ को निदेश दिया गया है कि, "Issue reminder to SDO if record is unavailable, he should attempt to construct shadow copy of LCR" अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ ने पत्रांक–1204 / न्या०, दिनांक–20.09.2023 के द्वारा shadow copy of LCR उपलब्ध कराया गया। प्रश्नगत भूमि मौजा–हिसिमदाग थाना–गोला के खाता नं०–11 प्लॉट सं०–373, रकवा–0.04 ए०, प्लॉट सं०–374, रकवा–0.05 ए०, प्लॉट सं०–375, रकवा–0.31 ए०, प्लॉट सं०–376, रकवा–0.37 ए०, प्लॉट सं०–384, रकवा–0.44 ए० कुल रकवा–1.21 ए० भूमि से संबंधित है।	

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुना एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युतर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख मे उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युतर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि मौजा–हिसिमदाग थाना–गोला के खाता नं०–11 प्लॉट सं०–373, रकवा–0.04 ए०, प्लॉट सं०–374, रकवा–0.05 ए०, प्लॉट सं०–375, रकवा–0.31 ए०, प्लॉट सं०–376, रकवा–0.37 ए०, प्लॉट सं०–384, रकवा–0.44 ए० कुल रकवा–1.21 ए० भूमि सर्वे खतियान में लोटन गोडाईत के नाम से दर्ज है। अपीलार्थी का कहना है कि अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के न्यायालय मे विपक्षी के द्वारा भू–वापसी वाद संख्या–01/1997 दायर किया गया जिसे अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ ने दिनांक–15.10.1999 को भू–वापसी आवेदन स्वीकृत किया। उक्त वाद के विरूद्ध अपीलार्थी के द्वारा अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग के न्यायालय में R.A. No.-05/99 दायर किया गया। अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग ने दिनांक–13.04.2002 को उक्त अपील को स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त किया। उक्त पारित आदेश के विरूद्ध विपक्षी द्वारा न्यायालय, आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग में भू–वापसी रिवीजन वाद संख्या–72/2002 चमरू करमाली वगै० बनाम नेपाल महतो वगै० दायर किया गया। माननीय आयुक्त, हजारीबाग द्वारा दिनांक–10.09.2002 को अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के द्वारा दिनांक–15.10.1999 को पारित आदेश को बहाल रखा गया एवं रिवीजन आवेदन स्वीकृत किया। उक्त पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची में दायर W.P.(C) No.-5899/2007 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने निम्न न्यायालय को सभी आदेशों को निरस्त करते हुए उपायुक्त, रामगढ़ को निदेश दिया गया कि अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ से भू–वापसी वाद संख्या–01/1997 का मूल अभिलेख की मांग कर पुनः सुनवाई हेतु आदेश पारित किया जाय।

अपीलार्थी का कहना है कि मौजा–हिसिमदाग के खाता नं०–11 सर्वे खतियान में लोटन गोडाईत पिता–जीबा गोडाईत के नाम से दर्ज है। लोटन करमाली के पुत्र राथवा करमाली एवं मायनर भतीजा चमरू करमाली पिता–सोहराय करमाली, हराधन करमाली, पिता–मनबोध करमाली और उनके मायनर भाई लगडा करमाली, टेपा करमाली एवं महादेव करमाली ने निबंधित इस्तिफानामा संख्या–2504, दिनांक–07.11.1941 के द्वारा भूतपूर्व जमींदार को प्रश्नगत भूमि इस्तिफा कर दिये। राथो करमाली, हराधन करमाली और उनके मायनर भाई लगडा करमाली एवं टेपा करमाली ने प्लॉट नं०–375 में 22 डी० और प्लॉट नं०–376 में 3 डी० भूमि करूवा करमाली को निबंधित केवाला दिनांक–12.08.1941 को बिक्री कर दिये। करूवा करमाली ने भी

भूतपूर्व जमींदार को दिनांक–02.07.1942 को उक्त भूमि का इस्तिफा दे दिये। भूतपूर्व जमींदार ने मौजा–हिसिमदाग थाना–गोला के खाता नं०–11 प्लॉट नं०–379, 374, 375, 376 एवं 384 में कुल रकवा–1.21 भूमि उचित मूल्य लेकर के लगन महतो पिता–बुटन महतो को दिनांक–24.03.1943 को हुकुमनामा कर दिये। हुकुमनामा के पश्चात उनके नाम से पंजी–II में दर्ज हो कर के लगान रसीद निर्गत होने लगा तथा भूमि पर दखल कब्जा रहा है। भू–वापसी वाद संख्या–01/1997 दायर होने तक अपीलार्थी का भूमि पर दखल कब्जा रहा। अंचल अधिकारी, गोला ने उक्त भूमि पर दखल–दिहानी हेतु नोटिस निर्गत किया गया, जो नियमसंगत नहीं है। उन्होनें आगे कहा कि भूमि पर अपीलार्थी का 80 वर्षों से दखल कब्जा रहा है। उन्होनें भू–वापसी वाद संख्या–01/1997 में पारित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया है।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि विपक्षी अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। अपीलार्थी ने जाली कागजात बनवाकर प्रश्नगत भूमि हासिल किये है। क्योंकि खतियानी रैयत के वंशजों के नाम से अब भी सरकारी रसीद निर्गत हो रहा है। उन्होनें अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के द्वारा भू–वापसी वाद संख्या–01/1997 में दिनांक–15.10.1999 को पारित आदेश को यथावत रखते हुए अपील आवेदन निरस्त करने का अनुरोध किया है।

सरकारी अधिवक्ता ने बहस के दौरान कहा कि ग्राम–हिसिमदाग थाना–गोला के खाता नं०–11 आदिवासी खाते की भूमि है। अपीलार्थी का यह कहना है कि उक्त भूमि उन्हें भूतपूर्व जमींदार को इस्तिफे के पश्चात हुकुमनामा के द्वारा प्राप्त है, के संबध में कहना है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–72 के अनुसार आदिवासी खाते की भूमि को इस्तिफे के पश्चात बिक्री नहीं की जा सकती है अर्थात इस मामले में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–72 का उल्लंघन प्रतीत होता है।

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन से एवं सरकारी अधिवक्ता के मंतव्य से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। अंचल अधिकारी, गोला ने पत्रांक–1112, दिनांक–05.08.2021 से अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ को भेजे गये जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि, "राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम–हिसिमदाग के खाता नं०–11 प्लॉट सं०–373, रकवा–0.04 ए०, प्लॉट सं०–374, रकवा–0.05 ए०, प्लॉट सं०–375, रकवा–0.31 ए०, प्लॉट सं०–376, रकवा–0.37 ए०, प्लॉट सं०–384, रकवा– 0.44 ए० कुल रकवा–1.21 ए० भूमि सर्वे खतियान मं लुटन गोडाईत के नाम से दर्ज है, जो आवेदकगण के परदादा थे। वर्त्तमान पंजी–2 के पृष्ठ सं०–11/I पर पर उक्त भूमि का जमाबंदी युगल करमाली के नाम से कायम है, जो आवेदकगण के पिता है। कुछ वर्षो पूर्व ग्राम–हिसिमदाग के नेपाल महतो वगै० द्वारा उक्त भूमि के

आवेदकगण को वेदखल कर दिया था। जिसके लिए अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़, अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग एवं आयुक्त, महोदय, उ० छो० प्रमण्डल, हजारीबाग के केश नं०–72/02 तथा माननीय उच्च न्यायालय, राँची के न्यायालय में दखल–दिहानी के केश नं०–W.P.(C) No.-5899/07 चला था। जिसमें आवेदकगण के पक्ष में फैसला दिया गया था तथा उच्चधिकारियों के आदेशानुसार दिनांक–22.02.2018 को दखल–दिहानी दिलाया गया। वर्त्तमान में स्थल जाँच करने पर पाया गया है कि उक्त भूमि पर आवेदकगण का जोंत–कोड एवं दखल कब्जा है।" संलग्न कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौजा–हिसिमदाग के खाता सं०–11 का कुल रकवा–4.04 ए० है, जिसमें अपीलार्थी का कहना है कि 1.21 ए० भूमि खतियानी रैयत के द्वारा भूतपूर्व जमींदार को इस्तिफा दिया गया। लेकिन उनके द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि खतियानी रैयत के द्वारा भूतपूर्व जमींदार को सम्पूर्ण खाते प्लॉट का इस्तिफा दिया गया या अंश भाग का इस्तिफा दिया गया। क्योंकि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–72 के अनुसार किसी भूमि के सम्पूर्ण खाते प्लॉट का इस्तिफा होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि के इस्तिफानामा में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–72 का उल्लंघन प्रतीत होता है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि खतियानी रैयत द्वारा दिनांक–07.11.1941 एवं दिनांक–02.07.1942 को इस्तिफा दिया गया एवं दिनांक–24.03.1943 को भूतपूर्व जमींदार द्वारा हुकुमनामा किया गया। इसमें भी छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–72 का उल्लंघन प्रतीत होता है। क्योंकि, **A Raiyat not bound by a lease or other agreement for a fixed period may, at the end of any agricultural year surrender his holding [with the previous sanction of the Deputy Commissoner in writing]** इस प्रकार भूतपूर्व जमींदार द्वारा एक ही कृषि–वर्ष के पूर्व हुकुमनामा किया जाना न्यायसंगत नहीं प्रतीत होता है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी बताने में विफल रहे कि भूतपूर्व जमींदार द्वारा दिया गया हुकुमनामा निबंधित है अथवा नहीं। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह कहना है कि उनकी जमाबंदी लम्बे वर्षों से चल रही है, लेकिन उनके द्वारा यह बताने में विफल रहे कि उनकी जमाबंदी किस सक्षम पदाधिकारी के आदेश दर्ज की गई है। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46(4A) का उल्लंघन किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची में दायर W.P.(C) No.-5899/2007 में दिनांक–01.10.2018 को पारित आदेश किया गया है कि, **"Accordingly the order dated 15.10.99 (Annexure-5) passed by respondent no.4 in Land Restoration Case no. 1/1997 is hereby set-aside being wholly without jurisdiction, consequently the appellate order dated 13.04.2002 passed in Land Restoration Appeal RAN-5/1999 AS well as the order dated 10.09.2007 passed by the Respondent no.**

2 in Land Restoration Revision no. 72 of 2002 both of which arise from the aforesaid order dated 15.10.1999 are also set aside. This court further finds that point of jurisdiction of the respondent no. 4 was never raised by the writ petitioner earlier, but the same being a question of law has been entertained and decided, as aforesaid. In such circumstances the ends of justice would be served if the Respondent No. 4 is directed to remit the records of the case to the Deputy Commissioner, Ramgarh for fresh decision." इस प्रकार पूर्व में विभिन्न न्यायालयों द्वारा सभी आदेशों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है। एवं fresh आदेश पारित करने का निदेश प्राप्त है। जिसके आलोक में सभी पक्षों को अपना पक्ष रखने हेतु पुरा मौका देते हुए सुनवाई की गई। जिसमें मैं पाता हूँ कि अनुसूचित जनजाति की भूमि को अवैध तरीके से हस्तांतरण किया गया है, जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46(4A) का उल्लंघन किया गया है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने, सरकारी अधिवक्ता के द्वारा दिये गये मंतव्य, अंचल अधिकारी, गोला के जाँच प्रतिवेदन एवं प्रस्तुत कागजातों के आलोक में मौजा–हिसिमदाग थाना–गोला के खाता नं०–11 प्लॉट सं०–373, रकवा–0.04 ए०, प्लॉट सं०–374, रकवा–0.05 ए०, प्लॉट सं०–375, रकवा–0.31 ए०, प्लॉट सं०–376, रकवा–0.37 ए०, प्लॉट सं०–384, रकवा–0.44 ए० कुल रकवा–1.21 ए० भूमि पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46(4A) से प्रदत्त शक्ति के आलोक में अपीलार्थी (गैर आदिवासी) को भूमि से उच्छेदित करने का आदेश दिया जाता है एवं साथ ही अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। निम्न न्यायालय का Shadow Copy of LCR एवं आदेश की प्रति अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ को वापस करें।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।
लेखापित एवं संशोधित।

Chandan 20/01/24
उपायुक्त,
रामगढ़।

Chandan 20/01/24
उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by Chandan Kumar
Date: 2024.02.03 12:26:02 +05:30
Location: 192.168.0.37